भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 611
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के पैटर्न का बागवानी पर असर

611. सुश्री कंगना रनौतः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज, अनिश्चित वर्षा और ओलावृष्टि के कारण सेब और अन्य बागवानी फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बागवानी से संबंधित अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) राज्य में दर्ज बीमा दावों, उनके निपटान तथा लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या फसल-विशिष्ट या पर्वतीय क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम न्यूनीकरण उपाय करने के प्रस्ताव किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की उपज न होने से उत्पन्न होने वाली वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) कार्यान्वित कर रही है। यह योजना राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रारंभ से ही इसे कार्यान्वित कर रही है। PMFBY और RWBCIS के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए, भुगतान किए गए और लंबित दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना	वर्ष	सीजन	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	लाभान्वित आवेदन
			(रु. करोड़ में)			(संख्या में)
पीPMFBY	**2022-23**	**ख़रीफ़**	4.83	4.77	0.06	33,200
		रबी	7.55	7.47	0.08	34,762
	2023-24	**ख़रीफ़**	21.89	21.61	0.28	60,071
		रबी	0.40	0.39	0.01	1,921
	2024-25	**ख़रीफ़**	6.41	5.73	0.68	28,191
RWBCIS	**2022-23**	**ख़रीफ़**	3.64	3.62	0.02	10,527
		रबी	53.18	52.18	1.01	60,239
	2023-24	**ख़रीफ़**	6.06	6.01	0.04	6,059
		रबी	115.21	112.38	2.83	59,631

इसके अतिरिक्त, देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से केंद्र प्रायोजित स्कीम समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित की जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य को MIDH के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	व्यय
2022-23	25.48
2023-24	20.45
2024-25	12.00

(घ): PMFBY के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली/निविदा प्रीमियम दरें प्रभारित की जाती हैं। तथापि, सीजन के लिए देश भर में बेहद कम प्रीमियम दर किसानों से ली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत है। बीमांकिक प्रीमियम का शेष भाग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है। तथापि, हिमाचल प्रदेश (खरीफ 2023 से) और पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) सहित पहाड़ी राज्यों में कवरेज बढ़ाने के लिए, बागवानी फसलों सहित सभी फसलों के लिए यह साझाकरण पैटर्न 90:10 (केंद्र: राज्य) के रूप में तय किया गया है।

*****